माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान,अजमेर

क्रमांक : 15 / मा.शि.बो. / सम्बद्धता / 2023 / दिनांक 17/2/23

संशोधित कार्यालय–आदेश

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर के आदेश क्रमांकः–DEO (HQ) SEC/JPR/L-5/2022/415 दिनांक 12.07.2022 के क्रम में निम्नलिखित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्था के वर्तमान नाम के स्थान पर उनके सम्मुख अंकित संशोधित नवीन नाम के परिवर्तन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

विद्यालय का वर्तमान नाम	विद्यालय का संशोधित नवीन नाम
(विद्यालय कोड–1124022) सम्पूर्णा इंग्लिश उच्च माध्यमिक विद्यालय, 172–ए, गिर्राज विहार, चित्रकूट स्कीम के सामने, (जयपुर)–302021	(विद्यालय कोड–1124022) कैम्ब्रिज कैपंस वर्ल्ड उच्च माध्यमिक विद्यालय, 172–ए, गिर्राज विहार, चित्रकूट स्कीम के सामने,(जयपुर)–302021

SD
विशेषाधिकारी (सम्बद्धता)

303-12

क्रमांक : / मा.शि.बो. / सम्बद्धता / 2023 66930 दिनांक 17/2/23

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, (राज.) 334001
02. मुख्य नियन्त्रक, (परीक्षा) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
03. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर (राज.) 302001।
04. उप निदेशक, (परीक्षा) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
05. उप निदेशक, (गोपनीय) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
06. उप निदेशक,(सूचना प्रौधोगिकी एवं संचार प्रकोष्ठ (आई.टी.एण्ड.सी.सैल) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
07. सहायक निदेशक, (परीक्षा) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
08. जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) जयपुर (राज.) 302001
09. अनुभाग अधिकारी, (परीक्षा सेल–01) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
10. प्रधानाचार्य, (विद्यालय कोड–1124022) कैम्ब्रिज कैपंस वर्ल्ड उच्च माध्यमिक विद्यालय, 172–ए, गिर्राज विहार, चित्रकूट स्कीम के सामने, (जयपुर)–302021
11. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक (सम्बद्धता)

विद्यालय - sampoorna english school (P31692)

आवेदन क्रमांक : 22605

मान्यता कोड : RJJAI24715

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)JAIPUR , राजस्थान

क्रमांक: जिशिअ/मा/जय/प्रथम/लेखा–6/का.मान्यता(3115

दिनांक 8 AUG 2018

सचिव

प्रबंध समिति

sampoorna english school

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 22605 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, sampoorna english school पता 172-A giriraj vihar, opposite chitrakoot scheme ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय JAIPUR NN PART4 ब्लॉक JHOTWARA CITY को निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तो के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ :-

क्रमोन्नति	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Pr. with Up.Pr. with sec. Only (1-10)
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है	No

स्वीकृत संकाय एवं विषय का विवरण	
विज्ञान संकाय	Physics (Science Stream), Chemistry (Science Stream), Biology (Science Stream), Mathematics (Science Stream), Computer Science
वाणिज्य संकाय	Commerce (Accountancy), Commerce (Business Studies), Economics (Commerce Stream), Mathemetics (Commerce Stream), Informatics Practices
कला संकाय	Economics (Arts Stream), Political Science, History, Geography, English Literature, Psychology, Physical Education, Public Administration

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)
जयपुर. प्रथम-जयपुर

विद्यालय - sampoorna english school (P31692) आवेदन क्रमांक : 22605

मान्यता कोड : RJJAI24715

1. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाऐं/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाऐंगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाऐं प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाऐं संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.)
जयपुर प्रथम-जयपुर

विद्यालय - sampoorna english school (P31692)

आवेदन क्रमांक : 22605

मान्यता कोड : RJJAI24715

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.)
जयपुर प्रथम-जयपुर

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

2 वरिष्ट शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।

4 उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,.. संभाग..................................।

5 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.)
जयपुर प्रथम-जयपुर

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

RAJ-PSP

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर प्रथम, जयपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश/पंत्राक – शिविरा–मा/माध्य/अ–2/21313/2016–17 दिनांक 25.08.2016, 26.08.2016 एवं 06.09.2016 की अनुपालना मे निदेशालय द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन संलग्न सूची में अंकित गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयो को नीचे वर्णित शर्तो पर सत्र 2016–17 से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र. स.	विद्यालय का नाम	माध्यम	विशेष विवरण
01	सम्पूर्णा इंगलिश स्कूल, 172 ए, गिर्राज विहार, चित्रकूट स्कीम के सामने , जयपुर	अंग्रेजी	माध्यमिक स्तर
02	सैन्ट ऐन्स एकैडमी, बी–7 बी, दुर्गादास कालोनी, सी–स्कीम, जयपुर	अंग्रेजी	कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 चलाने की स्वीकृति दी जाती है ।

शर्तेः–

07. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 की पालना करनी होगी।
08. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता (सम्बद्वता) सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र–क) मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा।
09. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मॉग नहीं की जावेगी।
10. विद्यालय का नाम /भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
11. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशो/नियमो/निर्देशो की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनाये/अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे।
12. कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के मामले मे राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 की पालना अनिवार्य है। अन्यथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 के अधीन दी गई मान्यता समाप्त की जा सकेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
जयपुर प्रथम,जयपुर

क्रमांक : जिशिअ/मा/जय/प्रथम/लेखा–5/फा–मान्यता(16–17) उप्रावि से मावि/ 1183 दिनांक 27.2.17

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

07. व.उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
08. निदेशक,मा0 शिक्षा राज0 बीकानेर को उनके पत्र दिनांक 25.08.2016, 26.08.2016 एवं 06.09.2016 की अनुपालना में अनुमोदनार्थ प्रेषित है।
09. सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
10. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
11. सम्बन्धित संस्था सम्पूर्णा इंगलिश स्कूल, 172A, गिर्राजविहार, चित्रकूट स्कीम के सामने, जयपुर
12. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
जयपुर प्रथम,जयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर

कार्यालय –आदेश

राज्य सरकार स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग के पत्रा क्रमांक प.9(2) शिक्षा–5/2010 पार्ट दिनांक 12.01.12, एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रंमाकःशिविरा/प्रारं/शैक्षिक/19626/मूल मान्यता/2011–12/ दिनांक 13.01.12 की अनुपालना में इस कार्यालय के द्वारा निम्नांकित संस्थाओं को (हिन्दी माध्यम/अंग्रेजी माध्यम) प्राथमिक विधालय में क्रमौन्नत करने हेतु प्राप्त आवेदन –पत्र प्रस्तुत कर राज्य सरकार द्वारा निर्देष्ठि शर्तों व पालना करने बाबत् प्रस्तुत शपथ–पत्र (अण्डर टेकिंग) एवं समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सत्र 2012–13 से कक्षा 5 संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

राज्य सरकार के आदेश क्रंमाक प. 9(2)शिक्षा–5/2005 पार्ट / जयपुर दिनांक 13.09.12 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/मूल मान्यता/12–13 /34 दिनांक 18.09.12 की अनुपालना में संस्था द्वारा अतिरिक्त मान्यता शुल्क रू. 15000/– जमा करवाये जाने पर सत्र 2012–13 से कक्षा 5 के साथ–साथ कक्षा 6, 7 व 8 भी संचालन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेगी।

क. सं.	संस्था का नाम व पता	मान्यता स्तर हिन्दी अंग्रेजी	अतिरिक्त मान्यता शुल्क डी डी संख्या / दिनांक	बैंक का नाम	राशि
1	नेस्टलिग कांन्वेन्ट स्कूल, पवनपुरी, बेनाड रोड, जयपुर	अंग्रेजी	200245 / 13.12..12	Bank of Baroda	15000
2	ऋषिकेश पब्लिक स्कूल, लक्ष्मीनगर–II, छापोला की ढाणी, सांगानेर, जयपुर	हिन्दी	963724 / 19.12..12	S B B J	15000
3	किरण पब्लिक स्कूल, ग्राम अखेपुरा पो0 गंगाजीकला, दूदू	हिन्दी	047390 / 20.11.12	Bank of Baroda	15000
4	उत्कर्ष विद्या मंदिर टांकरडा, चौमू, जयपुर	हिन्दी	442876 / 191212	Bank of India	15000
5	सम्पूर्णा इंग्लिश स्कूल, 56–57, गिर्राज विहार, चित्रकूट स्कीम के सामने 200 फीट बाईपास	अंग्रेजी	400889 / 11.10.12	Canara Bank	15000
6	लिटिल एकेडमी 13, सूर्य नगर–II, श्याम वाटिका जयसिंहपुरा खोर, पं.स.झोटवाड़ा, जयपुर	अंग्रेजी	42587 / 13.12..12	U. Co. Bank	15000
7	गुरूकुल किड्स एकेडमी 40 ए मदन विहार दादी का फाटक मुरलीपुरा जयपुर मो. 9950721464	अग्रेजी	692818 / 17.12..12.	Bank of Baroda	15000
8	न्यु हैप्पी पब्लिक स्कुल 12–13 रामेश्वर धाम बेनाड रोड जयपुर मो. 9214066714	हिन्दी	227428 / 28.9.12	I C I C I Bank	15000
9	सुमन ब्राईट एकेडमी 40ए आर.के पुरम खतीपुरा जयपुर मो. 9929715036	अग्रेजी	250138 / 11.12..12	Bank of Baroda	15000
10	संस्कार इन्टरनेशनल एकेडमी निवाणा (तिगरिया) चौमु मो. 9314156463	अग्रेजी	442835 / 19.10.12.	Bank of India	15000

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

क्रमांकःजिशिअ/जय/प्राशि/सा–5/फा– /मान्यता/12–13 588 दिनांक 27-12-12
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. शासन उपसचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
2. निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. शिक्षा उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर।
4. संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,
5. सचिव,........ सम्पूर्णा इंग्लिश स्कूल
6. रक्षित पत्रावली।

27/12/12

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।

प्रारूप–2

(नियम 8 क का उप–नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक जिशिअ / प्राशि / जय / सा–5 / फा–मान्यता / 182 / 2012 दिनांक:– 5.10.12

संस्था सचिव

सम्पूर्णा इंग्लिश स्कूल
172-A श्री गिर्राज विहार
चित्रकूट स्कीम के सामने जयपुर

विषय:– नियम 8–क के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक 31.7.12 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के संदर्भ में, मैं सम्पूर्णा इंग्लिश स्कूल (विद्यालय का नाम और पता) 172-A श्री गिर्राज विहार, चित्रकूट स्कीम के सामने जयपुर को 01.04.12 से —— तक ~~तीन~~ वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा नर्सरी से 5th तक के लिए ~~अन्तरिम~~ मान्यता मंजूर करता हूं।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:–

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे मान्यता / सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्दीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा–1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पडौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या असके माता–पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।

6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :

(i) विद्यालय मे प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ;

(ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा ;

(iii) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा ;

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा–अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा ;

(v) 2009 के अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों के सम्मिलित किया जाये ;

(vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें ;

परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते है, व 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;

(vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं ; और

(viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेगें।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्विवरण का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा–विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है :– (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र–प्रपत्र 1 के अनुसार)

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
- कुल निर्मित क्षेत्र
- खेल–कूद के मैदान का क्षेत्र

- कक्षा के कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक एवं कार्यालयों एवं भंडार कक्ष
- लड़के और लडकियों के लिए पृथक–पृथक शौचघर
- पीने के पानी की सुविधा
- मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई
- अवरोध मुक्त पहुंच
- अध्यापन विज्ञता सामग्री/खेल–कूद उपस्कर/ पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी।

10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।

11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता हैं।

13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (RJ/DEO/E/JPR/2012-13/...0405...) हैं। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/ जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तो को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिचित करें।

17. अन्य शर्ते संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा जयपुर